भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4114

गुरुवार, 18 जुलाई, 2019/27 आषाढ़, 1941 (शक)

चालकों हेतु न्यूनतम अर्हता

4114. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए मोटर यान अधिनियम में चालकों के लिए न्यूनतम अर्हता कक्षा VIII का एक प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह पिछड़े क्षेत्रों में कई प्रशिक्षित चालकों हेतु एक बाधा सिद्ध हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस आधर पर अशिक्षित चालकों से लाईसेंस वापस ले लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कई राज्यों ने इस प्रावधान का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में यथा प्रस्तुत मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 का खंड 5 केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विहित करने वाले मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 9 की उप-धारा (4) के वर्तमान उपबंध को हटाने का प्रावधान करता है। इसके अलावा, सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के तहत परिवहन वाहन चलाने के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का प्रस्ताव किया है और एक माह के अंदर टिप्पणियां / आक्षेप प्राप्त करने के लिए दिनांक 18.06.2019 की अधिसूचना सा.का.नि. 431(अ) जारी किया है। ये प्रस्ताव इसलिए किए गए है क्योंकि वर्तमान उपबंध अन्यथा पात्र बेरोजगार युवा के लिए परिवहन लाइसेंस प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है और ये प्रस्ताव चालकों की कमी को दूर करने के लिए भी किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 2019 का 3926 में पारित दिनांक 24.05.2019 के आदेश के तहत निदेश दिया है कि किसी अनपढ व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह कि याचिकाकर्ता और ऐसे ही व्यक्तियों को जारी किए गए हल्का मोटर यान लाइसेंस वापस ले लिया जाए और जहॉ ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किया गया है जो पढ़ या लिख नहीं सकते हैं, कार्रवाई की जानी चाहिए। यह मंत्रालय उपयुक्त न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इस निर्णय का प्रतिवाद कर रहा है।

******